भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 789
जिसका उत्तर बुधवार,07 फरवरी,2018 को दिया जाना है

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

789. श्री ए॰ पी॰ जितेन्द्र रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) जनवरी 2016 से विभिन्न राज्यों के चुनावों में काम नहीं करने वाली कुल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (इ॰वी॰एम॰) की संख्या का ब्यौरा और आकड़े क्या हैं;

(ख) ई॰वी॰एम॰ के काम नहीं करने की इन सूचनाओं के अनुसरण में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ई॰वी॰एम॰ की हैकिंग के आरोप की संभावनाओं की जांच के लिए कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और

(घ) क्या सरकार को किसी देश की जानकारी है जिसने मशीनों में हेरफेर गिए जाने की संभावना के कारण ई.वी.एम का उपयोग बंद अथवा कम कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)

(क) : निर्वाचन आयोग ने यह कथन किया है कि जनवरी, 2016 से कुल 4,50,584 मतपत्र यूनिटें और 4,04,403 नियंत्रण यूनिटें राज्य निर्वाचनों के लिए उपयोग की गई थीं, जिनमें से 13,731 यूनिटें जिनकी औसत लगभग 1.6 प्रतिशत है खराब हो गई थी।

(ख): आयोग ने यह भी कथन किया है कि त्रुटिपूर्ण मतदान मशीनें (ईवीएम) संबंधित विनिर्माता के कारखाने में मरम्मत के लिए भेजी गई थी।

(ग): आयोग ने विशेष रुप से यह कथन किया है कि उनके द्वारा उपयोग की गई इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनेंप्रौद्यगिकीय उपायों के कारण और इस संबंध में अधिकथित कठोर प्रशासनिक और सुरक्षा प्रक्रियाओं दोनों के कारण भी छेड़छाड़ किए जाने योग्य नहीं है। आयोग द्वारा उपयोग की गई मशीन लाजवाब, गैर-नेट प्रक्रियागत और एकमुश्त कार्यक्रम योग्य मशीनें है जो न तो कम्प्यूटर द्वारा नियंत्रित है और न ही इंटरनेट या किसी नेटवर्क से जुड़ी हुई है और इसलिए, इन्हें हैक नहीं किया जा सकता। मशीन किसी छेड़छाड़-छल साधन को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रुप से संरक्षित है । इन मशीनों में प्रयुक्त किया गया साफ्टवेयर कार्यक्रम एकबारगी कार्यक्रम योग्य/मास्कड चिप में नष्ट कर दिया जाता है ताकि इसमें कोई परिवर्तन न किया जा सके या इसके साथ छेड़छाड़ न की जा सके।

(घ): निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों पर प्रास्थिति कागज पत्र के अनुसार, नीदरलैंड, जर्मनी और आयरलैंड कुछ ऐसे देशों में से हैं जिन्होंने मतदान में मशीनों के उपयोग को रोक दिया है। इन देशों द्वारा उपयोग की गई मशीनें किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा विनिर्मित की गई थीं। इन मशीनों

का उपयोग इन देशों द्वारा नियुक्त आयोगों द्वारा की गई जांचों के पश्चात् रोक दिया गया था जिसमें यह प्रकट किया गया है कि मशीन में प्रर्याप्त प्रौद्योगिकीय सुरक्षोपायों का अभाव था। जर्मनी ने इन मशीनों का त्याग कर दिया है चूंकि इन्होंने लोक प्रकृति के निर्वाचनों के अपने उस सिद्धांत का उल्लघंन किया है जो यह अपेक्षा करता है कि निर्वाचनों में सभी आवश्यक उपाय लोक समीक्षा के तब तक अध्यधीन हैं जब तक अन्य संवैधानिक हित किसी अपवाद को न्यायाचित नहीं ठहराते हैं।

****